... अधिकारी ... अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

... अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 176/2025 राजस्व वाद

01. प्रेमी देवी पुत्री श्री नन्दा रावत पत्नी श्री उदय सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- खास सुरडिया, राजियावारा जिला अजमेर (राज0)
02. बदाम उर्फ बदामी देवी पुत्री श्री नन्दा रावत पत्नी श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- खास सुरडिया, राजियावारा जिला अजमेर (राज0)
03. रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री रूपा उर्फ रूप सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- तेजडाई , नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. कंचन देवी पुत्री श्री रूपा उर्फ रूप सिंह रावत पत्नी श्री वेण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी- कोट किरण जिला पाली (राज0)

—— वादीगण

<u>बनाम</u>

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र बावत घौषणा, इन्द्राज दुरुस्ती
वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88, 89,92-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादीगण
2. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता-प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक-10.09.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादी के विरुद्व वाद बावत घौषणा इन्द्राज दुरुस्ती का अन्तर्गत धारा 88, 89,92-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद नारेली पटवार हल्का नारेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे भाग-अ खाता संख्या 42 मे आराजी नम्बर 2186 रकवा 0.0253 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2187 रकवा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 02 रकवा 0.0632 हैक्टयर उक्त आराजियात मे दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का 1/9 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। भाग-ब खाता संख्या 41 मे आराजी नम्बर 2230 रकवा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2231 रकवा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2293/3 रकवा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2294/5 रकवा 0.0126 हेक्टयर कुल किता 04 रकवा 0.2402 हैक्टयर उक्त आराजियात मे दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का 1/6 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। भाग-स खाता संख्या 40 मे आराजी नम्बर 2157 रकवा 0.0126 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2158 रकवा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2159 रकवा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2172/1 रकवा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2173 रकवा 0.0379 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2174 रकवा 0.3541 हैक्टयर कुल किता 06 रकवा 0.6828 हेक्टयर उक्त आराजियात मे दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का 1/6 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। भाग-द खाता संख्या 39 मे आराजी नम्बर 2162 रकवा 0.0506 हेक्टयर कुल किता 01 एक रकवा 0.0506 हेक्टयर उक्त आराजियात मे दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का 1/9 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। भाग-य खाता संख्या 13 आराजी नम्बर 2196 रकवा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2197 रकवा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2201/3 रकवा 0.8726 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2232 रकवा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2236/1 रकवा 0.3794 हैक्टयर कुल किता 05 रकवा 1.5050 हैक्टयर उक्त आराजियात मे दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का 1/3 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। भाग-र खाता संख्या 106 मे आराजी नम्बर 2178/1 रकवा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2180 रकवा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2185 रकवा 0.0632 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2189 रकवा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2194/1 रकवा 0.6323 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2194/4 रकवा 0.2276 हैक्टयर कुल किता 06 रकवा 1.0116 हेक्टयर उक्त आराजियात मे दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का 2/15 हक हिस्सा दर्ज

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 176/2025 राजस्व वाद

01. प्रेमी देवी पुत्री श्री नन्दा रावत पत्नी श्री उदय सिंह रावत आयु वयस्क निवासी— खास सुरडिया, राजियावास जिला अजमेर (राज0)
02. बदाम उर्फ बदामी देवी पुत्री श्री नन्दा रावत पत्नी श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी— खास सुरडिया, राजियावास जिला अजमेर (राज0)
03. रणजीत सिह पुत्र स्व0 श्री रूपा उर्फ रूप सिंह रावत आयु वयस्क निवासी— तेजडाई, नारेली तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. कंचन देवी पुत्री श्री रूपा उर्फ रूप सिंह रावत पत्नी श्री वेण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी— कोट किरण जिला पाली (राज0)

—— वादीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88, 89,92—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादीगण
2. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक—10.09.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्व वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88, 89,92—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद नारेली पटवार हल्का नारेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे भाग—अ खाता संख्या 42 मे आराजी नम्बर 2186 रकबा 0.0253 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2187 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.0632 हैक्टयर उक्त आराजियात मे दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का 1/9 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। भाग—ब खाता संख्या 41 मे आराजी नम्बर 2230 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2231 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2293/3 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2294/5 रकबा 0.0126 हेक्टयर कुल किता 04 रकबा 0.2402 हैक्टयर उक्त आराजियात मे दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का 1/6 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। भाग—स खाता संख्या 40 मे आराजी नम्बर 2157 रकबा 0.0126 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2158 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2159 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2172/1 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2173 रकबा 0.0379 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2174 रकबा 0.3541 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 0.6828 हेक्टयर उक्त आराजियात मे दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का 1/6 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। भाग—द खाता संख्या 39 मे आराजी नम्बर 2162 रकबा 0.0506 हेक्टयर कुल किता 01 एक रकबा 0.0506 हेक्टयर उक्त आराजियात मे दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का 1/9 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। भाग—य खाता संख्या 13 आराजी नम्बर 2196 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2197 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2201/3 रकबा 0.8726 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2232 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2236/1 रकबा 0.3794 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.5050 हैक्टयर उक्त आराजियात मे दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का 1/3 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। भाग—र खाता संख्या 106 मे आराजी नम्बर 2178/1 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2180 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2185 रकबा 0.0632 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2189 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2194/1 रकबा 0.6323 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2194/4 रकबा 0.2276 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 1.0116 हेक्टयर उक्त आराजियात मे दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का 2/15 हक हिस्सा दर्ज

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

रेकार्ड है। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे वादीया संख्या 01 एवं
02 के भाई व वादी संख्या 03 एवं 04 के काका दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत के नाम पर दर्ज है। वादीया
संख्या 01 एवं 02 के भाई व वादी संख्या 03 एवं 04 के काका दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत जो कि करीब 30
वर्षो से घर व गांव से लापता है, जिनकी काफी तलाश करने पर भी उनका कोई पता नही लग पाया है व
विगत 30 वर्षो मे किसी ने भी दुर्गा रावत को नही देखा है व न ही जीवित होने के बारे में सुना है, जिससे
संभवतः उनका देहान्त हो जाना कानूनन उपधारित होता है। कानूनन कोई व्यक्ति 07 वर्ष से अधिक समय
से अपनी शकुनत व परिवार से लापता है तो वह उपधारणा की जाती है कि वह जीवित नही रहा है। चूंकि
दुर्गा रावत 30 वर्षो से हमारे घर व शकुनत से लापता है और वे इतने समय से लोटकर घर व गांव मे नही
आये व न ही दुर्गा रावत के बारे मे कही सुना व देखा है, जिससे उपधारणा की जाना लाजमी हो गया है
कि दुर्गा रावत की सिविल मृत्यु हो चुकी है। दुर्गा रावत के नाम पर दर्ज भूमि पर वादीगण ही काबिज हो
आज पर्यन्त उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व वादीगण के अलावा दुर्गा रावत के कोई वारीस नही है,
क्योकि दुर्गा रावत जो कि अविवाहित थे। उक्त आराजियात दुर्गा रावत के नाम पर अंकित होने से वादीगण
के खातेदारी अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिससे इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित
किया जाना आवश्यक है कि वादीगण दुर्गा रावत के हक हिस्से की उक्त आराजियात के खातेदार
काश्तकार है एवं इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का नाम विलोपित कर उनके बजाय
वादीगण का नाम प्रतिस्थापित कराया जाना आवश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादी को कई मर्तबा उक्त
आराजियात वादीगाण के नाम पर अंकित करने हेतु कहा लेकिन वो टालमटोल करते रहे, दिनांक 22 बाईस
अगस्त 2025 दो हजार पच्चीस को कहने पर प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की
हिदायत दी गयी। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। सरहद
नारेली पटवार हल्का नारेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे
भाग–अ खाता संख्या 42 मे आराजी नम्बर 2186 रकवा 0.0253 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2187 रकवा 0.
0379 हैक्टयर कुल किता 02 रकवा 0.0632 हैक्टयर , भाग–व खाता संख्या 41 मे आराजी नम्बर 2230
रकवा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2231 रकवा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2293/3 रकवा 0.0885
हैक्टयर, आराजी नम्बर 2294/5 रकवा 0.0126 हेक्टयर कुल किता 04 रकवा 0.2402 हैक्टयर , भाग–स
खाता संख्या 40 मे आराजी नम्बर 2157 रकवा 0.0126 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2158 रकवा 0.0253 हैक्टयर,
आराजी नम्बर 2159 रकवा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2172/1 रकवा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर
2173 रकवा 0.0379 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2174 रकवा 0.3541 हैक्टयर कुल किता 06 रकवा 0.6828
हेक्टयर , भाग–द खाता संख्या 39 मे आराजी नम्बर 2162 रकवा 0.0506 हेक्टयर कुल किता 0.0506
हेक्टयर भाग–य खाता संख्या 13 मे आराजी नम्बर 2196 रकवा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2197 रकवा
0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2201/3 रकवा 0.8726 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2232 रकवा 0.1265
हैक्टयर, आराजी नम्बर 2236/1 रकवा 0.3794 हैक्टयर कुल किता 05 रकवा 1.5050 हैक्टयर, भाग–र
खाता संख्या 106 मे आराजी नम्बर 2178/1 रकवा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2180 रकवा 0.0379
हैक्टयर, आराजी नम्बर 2185 रकवा 0.0632 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2189 रकवा 0.0253 हैक्टयर, आराजी
नम्बर 2194/1 रकवा 0.6323 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2194/4 रकवा 0.2276 हैक्टयर कुल किता 06
रकवा 1.0116 हेक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे खातेदार दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का नाम विलोपित करा
, खातेदार दुर्गा रावत के हक हिस्से मे वादीया संख्या 01 को 1/3 हक हिस्सा, वादीया संख्या 02 का
1/3 हक हिस्सा व वादी संख्या 03 एवं 04 को 1/3 हक हिस्से अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार
घौपित कराया जावे तद्नुसार घौपणात्मक डिक्री वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमायी जाना
न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी के द्वारा
जवाब पेश नही करने से जवाब बंद किया गया व साथ ही दुर्गा रावत के हक हिस्से की भूमि वादीगण
के नाम पर दर्ज करवाने हेतु किसी को आपत्ति होने पर देनिक समाचारपत्र मे सूचना का प्रकाशन भी
करवाया गया, जिसकी प्रतिया पेश की गयी व साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र व जमाबंदी व
आधार कार्ड पेश किये गये व वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप स्वयं व अन्य स्वतंत्र गवाहान के शपथपत्र पेश
किये गये। वादीगण द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाये गये।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त
आराजियात मे खातेदार दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत जो कि विगत 30 वर्षो से लापता होने व उनके जीवित

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

होने वावत कोई सूचना नही होने 07 वर्ष तक उनके जीवित नही होने के वारे नही सुना जाने से उनकी मृत्यु मानकर व अविवाहित होने से वादीगण उनके वारीसान होने से खातेदारान दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम पर भूमि दर्ज करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य का अवलोकन किया गया, खातेदार दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत जो कि विगत 30 वर्षो से लापता होने से उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी कानून मे उपधारणा है व उसके विधिक वारीसान वादीगण ही है व साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर दुर्गा रावत 30 वषो से लापता है व वादीगण उनके वारीस है एवं अखबार मे सूचना प्रकाशन के बाद भी न्यायालय मे आपत्ति प्रस्तुत नही हुई है। इस कारण खातेदार दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद नारेली पटवार हल्का नारेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 2186 रकबा 0.0253 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2187 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.0632 हैक्टयर , आराजी नम्बर 2230 रकबा 0. 0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2231 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2293/3 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2294/5 रकबा 0.0126 हेक्टयर कुल किता 04 रकबा 0.2402 हैक्टयर , आराजी नम्बर 2157 रकबा 0.0126 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2158 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2159 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2172/1 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2173 रकबा 0.0379 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2174 रकबा 0.3541 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 0.6828 हेक्टयर , आराजी नम्बर 2162 रकबा 0.0506 हेक्टयर कुल किता 0.0506 हेक्टयर , आराजी नम्बर 2196 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2197 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2201/3 रकबा 0.8726 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2232 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2236/1 रकबा 0.3794 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.5050 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2178/1 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2180 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2185 रकबा 0.0632 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2189 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2194/1 रकबा 0.6323 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2194/4 रकबा 0.2276 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 1. 0116 हेक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे खातेदार दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का नाम विलोपित करा , खातेदार दुर्गा रावत के हक हिस्से मे वादीया संख्या 01 को 1/3 हक हिस्सा, वादीया संख्या 02 का 1/3 हक हिस्सा व वादी संख्या 03 एवं 04 को 1/3 हक हिस्से अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा०दी०)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 176 / 2025 राजस्व वाद

01. प्रेमी देवी पुत्री श्री नन्दा रावत पत्नी श्री उदय सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– खास सुरडिया, राजियावास जिला अजमेर (राज0)

02. बदाम उर्फ बदामी देवी पुत्री श्री नन्दा रावत पत्नी श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– खास सुरडिया, राजियावास जिला अजमेर (राज0)

03. रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री रूपा उर्फ रूप सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– तेजडाई , नारेली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

04. कंचन देवी पुत्री श्री रूपा उर्फ रूप सिंह रावत पत्नी श्री वेण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– कोट किरण जिला पाली (राज0) —— वादीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0) —— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 10.09.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि नील को दी जायें।

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद नारेली पटवार हल्का नारेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 2186 रकबा 0.0253 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2187 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.0632 हैक्टयर , आराजी नम्बर 2230 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2231 रकबा 0.0632 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2293 / 3 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2294 / 5 रकबा 0.0126 हेक्टयर कुल किता 04 रकबा 0.2402 हैक्टयर , आराजी नम्बर 2157 रकबा 0.0126 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2158 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2159 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2172 / 1 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2173 रकबा 0.0379 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2174 रकबा 0.3541 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 0.6828 हेक्टयर , आराजी नम्बर 2162 रकबा 0.0506 हेक्टयर कुल किता 0. 0506 हेक्टयर , आराजी नम्बर 2196 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2197 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2201 / 3 रकबा 0.8726 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2232 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2236 / 1 रकबा 0.3794 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.5050 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2178 / 1 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2180 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2185 रकबा 0.0632 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2189 रकबा 0.0253 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2194 / 1 रकबा 0. 6323 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2194 / 4 रकबा 0.2276 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 1.0116 हेक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे खातेदार दुर्गा पुत्र श्री नन्दा रावत का नाम विलोपित करा , खातेदार दुर्गा रावत के हक हिस्से मे वादीया संख्या 01 को 1 / 3 हक हिस्सा, वादीया संख्या 02 का 1 / 3 हक

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

हिस्सा व वादी संख्या 03 एवं 04 को 1/3 हक हिस्से अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)